

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendlax 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक), चौहटन मुकाम चौहटन
व इजलास कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

अनवान -

वादीगण -

1 वन्तलीदेवी पत्नि भागवतराम 2 भागवतराम पुत्र पूनमाराम, जातियान मधवाल,
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देवूसर), तहसील चौहटन, जिला बाडमर
3 कबूलाराम पुत्र महेंद्राराम, जाति मधवाल, निवासी सावा, तहसील धनाऊ (बाडमर)

बनाम


प्रतिवादीगण -

1 गेरीदेवी पत्नि टीलाराम 2 अतूदेवी पत्नि आसूलाल, जातियान मधवाल
निवासी महादेवपुरा (बीजराड), तहसील चौहटन, जिला बाडमर
3 तहसीलदार चौहटन

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 04 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.व.रू.न्यायालय बहाजरी श्री जुगतसिंह सोढा एड. मिनजानिब मुदाई व श्री शाकर खान एच एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा गुमानपुरा (बावडीकला) के खेत खसरा सं. 93 रकबा 10.06 बीघा, खसरा सं. 94 रकबा 08.06 बीघा एवं खसरा सं. 95 रकबा 08.18 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्तानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ठ पर..... बीज मबलिग बावत पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक को अदा करे।



मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2025 को जारी की गई।

दस्तखत
असहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मुद	कलक्टर	र	मुद	कलक्टर	र
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		
स्टाम्प अर्चाराज			स्टाम्प अर्चाराज		



मैजान

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च दर दो फरोकन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	किरम	लगान	वरग
1	वतलीदेवी पत्नि भागवतराम 1/2, भागवतराम पुत्र पूनमाराम 1/3, कबूलाराम पुत्र महेन्द्राराम 1/6	गुमानपुरा	93 94	01.2505 01.0077	बा.सो. बा.सो.	00.24 00.20	हरा
	योग			02.2585	बा.सो.	00.44	हरा
2	अंतूदेवी पत्नि आसूलाल 1/2 गेरीदेवी पत्नि टीलाराम 1/2	गुमानपुरा	93 94	00.4168 00.3359	बा.सो. बा.सो.	00.08 00.06	लाल
	योग			00.7527	बा.सो.	00.14	लाल
3	वंतलीदेवी पत्नि भागवतराम 2/3 भागवतराम पुत्र पूनमाराम 1/3	गुमानपुरा	95	01.0805	बा.सो.	00.20	हरा
	योग			01.0805	बा.सो.	00.20	हरा
4	अंतूदेवी पत्नि आसूलाल 1/2 गेरीदेवी पत्नि टीलाराम 1/2	गुमानपुरा	95	00.3602	बा.सो.	00.07	लाल
				00.3602	बा.सो.	00.07	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(कुसुमलता चौहान)

सहायक कलक्टर
साहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 04 / 2022

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस., आर.ए.एस

अनवान

वादीगण –

1 वन्तलीदेवी पत्नि भागवतराम 2.भागवतराम पुत्र पूनमाराम, जातियान मेघवाल,
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी (देदूसर), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3 कबूलाराम पुत्र महेन्द्राराम, जाति मेघवाल, निवासी सांवा, तहसील धनाऊ(बाड़मेर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1.गेरीदेवी पत्नि टीलाराम 2.अंतूदेवी पत्नि आसूलाल, जातियान मेघवाल
निवासी महादेवपुरा (बीजराड), तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

वादीगण वकील – श्री जुगतसिंह सोढा
प्रतिवादीगण वकील – श्री शाकर खान एच.

निर्णय


वाद अन्तर्गत धारा 88.53,188 RT Act.

दिनांक :- 28.04.2025

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया । पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वादीगण अधिवक्ता को तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा गुमानपुरा (बावड़ीकला) के खेत खसरा सं. 93 रकबा 10.06 बीघा, खसरा सं. 94 रकबा 08.06 बीघा एवं खसरा सं. 95 रकबा 08.18 बीघा तहसील


सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

चौहटन में आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
1	वंतलीदेवी पत्नि भागवतराम 1/2, भागवतराम पुत्र पूनमाराम 1/3, कबूलाराम पुत्र महेन्द्राराम 1/6	गुमानपुरा	93	01.2505	बा.सो.	00.24	हरा
			94	01.0077	बा.सो.	00.20	
	योग			02.2585	बा.सो.	00.44	हरा
2	अंतूदेवी पत्नि आसूलाल 1/2 गेशीदेवी पत्नि टीलाराम 1/2	गुमानपुरा	93	00.4168	बा.सो.	00.08	लाल
			94	00.3359	बा.सो.	00.06	
	योग			00.7527	बा.सो.	00.14	लाल
3	वंतलीदेवी पत्नि भागवतराम 2/3 भागवतराम पुत्र पूनमाराम 1/3	गुमानपुरा	95	01.0805	बा.सो.	00.20	हरा
	योग			01.0805	बा.सो.	00.20	हरा
4	अंतूदेवी पत्नि आसूलाल 1/2 गेशीदेवी पत्नि टीलाराम 1/2	गुमानपुरा	95	00.3602	बा.सो.	00.07	लाल
				00.3602	बा.सो.	00.07	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शे निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28/04/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

